राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 867/2019

कमल रानी मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा), जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), जयपुर, राजस्थान।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर, राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांसा, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.03.2019
आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हिमांशु जैन, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 10.03.1995 (अनुलग्नक–2) के जरिये हुई। राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशाला सहायक तृतीय के पद से अधिशेष घोषित होने पर को अपीलार्थी की सेवाएं अध्यापक ग्रेड–III के पद पर समायोजित की गई। जहां अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जो अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जो प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी, तब से गणना करते हुए प्रदान की गई है। प्रथम चयनित वेतनमान के संबंध में आदेश दिनांक 17.09.2007 जारी किया गया। इसके पश्चात् 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। जिसके संबंध में आदेश दिनांक 06.01.2014 जारी किया गया। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की पे–स्केल कम करके वसुली निकाली है, जिसको चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि इसी प्रकार का मामला अधिकरण के समक्ष प्रयागराज मीणा बनाम राज्य अपील संख्या 260/2018 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अधिकरण ने यह माना था कि अपीलार्थी को समस्त लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति से प्रदान किये जाने चाहिए और वसुली को गलत माना

था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को जो चयनित वेतनमान के लाभ दिये गए है, वो उसकी प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति की दिनांक से गणना करके दिये गए है, जो सही दिये गए है। उनकी सेवा की गणना करके जो लाभ प्रदान किये जा चुके है, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 04 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आदेश प्राप्त होने की तिथि से आगामी 06 सप्ताह की अवधि में आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)